न हो जब तक उभयपक्षकारान को वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकर्ड बनाये रखने एवं मौके की स्थिति रखने हेतु पाबंद करने का निवेदन किया है। अतः वादग्रस्त आराजी संयुक्त सामलाती कृषि भूमि होने से दोनों पक्षों को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित समझते है। अतः यह बिंदू उभयपक्षकारान के पक्ष में साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलन एवं अपुरणीय क्षतिः–** प्रथम दृष्टया मामला उभयपक्षकारान के पक्ष में साबित हुआ है। साथ ही वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक खातेदार का अपने हिस्से तक सुविधा का संतुलन निहित होना माना जाता है एवं मौके पर किसी अन्य खातेदार द्वारा वादग्रस्त आराजी में अन्य सहखातेदारान की कब्जा काश्त की जमीन पर जबरदस्ती दखलअंदाजी करना विधि विरुद्ध है। चुंकि एक पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है तो दूसरे पक्ष को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है। इस प्रकार यदि प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः यह बिंदू भी उभयपक्षकारान के पक्ष में ही निहित होना साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रा.पत्र सायलान/वादीगण एवं काउन्टर प्रा. पत्र के प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होने स्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र सायलान एवं काउन्टर प्रा.पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **उभयपक्षकारान** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा राबडियावास पटवार हल्का राबडियावास भू–अभिलेख निरीक्षक बलाडा तहसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 673 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 650 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 653 रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल का **राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने** हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)